

कार्यालय
पत्रांक:2015/अ0प्र0प0/अलीगढ़/14/सीएफओ
सेवा में,

मुख्य
अग्निशमन
जिला पूर्ति अधिकारी,
जनपद अलीगढ़।

अधिकारी
अलीगढ़।
दिनांक:अप्रैल 28, 2015

विषय: खसरा संख्या: 46-3 ग्राम नगौला तहसील कोल जनपद अलीगढ़ पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्र संख्या:337/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/15, दिनांक: 15.03.2015,

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से प्रस्तावित स्थल खसरा संख्या: 46-3 ग्राम नगौला तहसील कोल जनपद अलीगढ़ पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्राप्त मानचित्र के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक है।

उपरोक्त के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन द्वितीय अधिकारी अतरौली श्री नन्मूल शर्मा से अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया तो उनकी आख्यानुसार प्रस्तावित स्थल मानक के अनुरूप चौड़े मार्ग अलीगढ़-डिबाई रोड पर स्थित है, जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आवगमन करते हुए अग्निशमन का कार्य कर सकते हैं। प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट के लिये उपयुक्त है। स्थल पर निम्न अग्निसुरक्षा व्यवस्था कराये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित का निर्देशित करने का कष्ट करें।

- 1- प्रस्तावित स्थल मानचित्र में सड़क के मध्य से 30.00 मी0 की दूरी पर स्थित दर्शाया गया है।
- 2- परिसर के चारो तरफ 1.20 मीटर ब्रिकवाल प्रस्तावित है।
- 3- परिसर में प्रवेश/निकास हेतु 11.50 मीटर चौड़ाई के दो अलग-अलग गेट प्रस्तावित है।
- 4- मानचित्र में 12 मीटर लम्बाई व 03 मीटर चौड़ी बफर स्ट्रिप का प्राविधान किया गया है।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

- 1-कैनापी का निर्माण अस्थायी संरचना के रूप में अनुमन्य होगा जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6 मी0 से कम न हो।
- 2-न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मी0 से कम न हो।
- 3-सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस-2148-1646 के मानको के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम0सी0बी0/ई0एल0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये।
- 4-प्रत्येक टैंक के लिए अलग-अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जुड़ी नही होनी चाहिए एवं ऊँचाई 4 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारो तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
- 5-वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
- 6-टैंक में तेल भरते समय टैंक, डिस्पेन्सर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित है।
- 7-लारी से टैंक में तेल भरते समय Proper Earthing होना अति आवश्यक है।
- 8-स्टोरेज टैंक के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जायें।
- 9-प्रत्येक डिस्पेन्सर के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2-2 अदद क्षमता 9 ली0 एवं आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2-2 अदद क्षमता 10 किलोग्राम के रखे जाये समस्त अग्निशमन उपकरण सदैव क्रियाशील दशा में होने चाहिए एवं उनका रख रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।
- 10-अण्डर ग्राउन्ड टैंक के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2-2 अदद क्षमता 9 ली0 एवं आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2-2 अदद क्षमता 10 किलोग्राम के रखे जाये एवं 75 किलोग्राम वजन डी0सी0पी0 ट्राली एवं 50 ली0 फोम की ट्राली होनी चाहिए।
- 11- इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 1-1 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जाये।

- 12- डीजल जनरेटर सेट से पास आईएसओ मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद क्षमता 4 कि०ग्रा० के रखे जाये एवं D.G. Sets, स्टैक Height नियमानुसार होना चाहिए एवं टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
- 13- लाइसेन्स एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइट फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।
- 14- प्रत्येक डिस्पेन्सर पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
- 15- इमरजेन्सी प्लान O.I.S.D-225 के अनुसार होना चाहिए।
- 16- पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग O.I.S.D-225 के अनुसार होनी चाहिए।
- 17- आपरेटिंग प्रोसीजर के बोर्ड लगे होने चाहिए।
- 18- इमरजेन्सी प्लान के बोर्ड भी लगे होने चाहिए।
- 19- केबल्स ग्लेन्डिंग के साथ होना चाहिए।
- 20- इलेक्ट्रिकल रूम में Proper Ventilation होना चाहिए।
- 21- पेट्रोल पम्प पर धूमपान निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए।
- 22- फायर स्टेशन का टेलीफोन नं० 101, व 2522666, 9454418482, 9454418483, जिला कंट्रोल रूम का फोन नं० 100 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 23- ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्नांकित को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें।
 - (अ) तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बंद कर लें।
 - (ब) धूमपान न करें।
 - (स) मोबाइल फोन बंद रखें।

निम्नांकित का बोर्ड डिस्पेन्सर के पास लगायें।

क्या करें	क्या न करें
1-मोबाइल फोन बंद रखें।	1-वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करें जब तक वाहन के टैंक से नोजुल अलग न हो जायें।
2-तेल भरते समय वाहन का इंजन बंद रखें।	2-धूमपान न करें।
3-सुनिश्चित कर ले कि डिस्पेन्सर के पास अग्निशमन यंत्र रखे हुए है।	3-खुली आग का प्रयोग न करें।
4-तेल रिसाव/आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टाप बटन दबाये।	4-लारी से टैंक में तेल भरते समय वाहनों में तेल न भरें।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट, 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं O.I.S.D-225 में उल्लिखित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाने की शर्त के साथ संस्तुति आख्या अग्रसारित है यह आख्या जो दो वर्ष तक वैध होगी निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोग में लाने से पूर्व अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी से पुनः निरीक्षण कराकर स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं सम्बन्धी अन्तिम (स्थाई) प्रमाण प्राप्त किया जाना सम्बन्धित का उत्तरदायित्व होगा अन्यथा आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगा।

संलग्नक-मानचित्र

28.4.15
(मौ० शाहिद)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अलीगढ़।

दिनांक: 28.04.2015

(मौ० शाहिद)

प्रतिलिपि- प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अतरौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
अग्निशमन अधिकारी
अलीगढ़